

कार्यवाही विवरण

आदेश

शुभ्राध

पञ्जावली पैक्स दुर्ग। पछील कादी एवं नदी कादी
 को धार-धार न्यायालय सम्पन्न तऽ भावज
 छाडनाई गई, पण्डु इन्ही ओर से नोरी भी
 उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने से
 कादी कादी हादमा हाजरी एवं अदग पैक्की के
 खालीज किया जाता है। पञ्जावली पैक्स
 सुभा हाका दर्जा नम्बर से कम ही तथा
 बाद तऽभी ल जाहा काजिल वपहर ही
 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया


 ए. सी. ई. एम. (फा. दे.)
 नवलगढ

PSOC

माह के अन्त में न्यायालय में न्यायालय प्रकाशित है।
 का निम्नानुसार प्रकाशित है।
 (इन्फो) माह के अन्त में
 न्यायालय

